सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2025-2026

श्रीमती दिया कुमारी

उप मुख्यमंत्री (वित्त), राजस्थान

का

बजट भाषण

19 फरवरी 2025

फाल्गुन कृष्ण ६, विक्रम संवत् २०८१

85. अपराधियों के सुधार, पुनर्वास तथा बंदी गृह उन्नयन सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	कार्य/सुविधायें
1.	अपराधों में संलिप्त रहे किशोर बालकों में सुधार हेतु जयपुर में **किशोर सुधार गृह**
2.	जयपुर, भरतपुर, कोटा व बीकानेर स्थित किशोर सुधार गृहों में बाल मनोवैज्ञानिक उपलब्ध करवाये जाने की सुविधा।
3.	न्यायिक प्रकरणों, जेल आधिक्य की समस्या के त्वरित निस्तारण तथा नवीन कानूनों के क्रियान्वयन हेतु राज्य की कारागृहों में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों की माननीय न्यायालय में पेशी Video Conference (VC) के माध्यम से करवाये जाने के लिए प्रथम चरण में 400 VC Nodes की स्थापना
4.	खुला बंदी शिविर–सांगानेर में 250 बंदियों हेतु 35 करोड़ रुपये की लागत से नवीन आवास
5.	कारागार में अवैध मोबाइल सिग्नल रोकने हेतु 7 केन्द्रीय कारागृहों में T-HCBS प्रणाली
6.	• सलूम्बर, फलौदी, डीडवाना–कुचामन, कोटपूतली–बहरोड, बालोतरा, ब्यावर व डीग के उप कारागृहों का जिला कारागृहों में क्रमोन्नयन • खैरथल–तिजारा में नवीन जिला कारागृह, तथा • कोटा, जालोर में नवीन कारागृह का निर्माण
7.	कारागृहों में निरूद्ध सजायाफ्ता बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान
8.	अवैध रूप से Overstay करने वाले विदेशियों एवं अवैध प्रवासियों के लिए 100 बंदी क्षमता का 10 करोड़ रुपये की लागत से **Detention Centre**
9.	जेल विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु कारागार प्रशिक्षण संस्थान–अजमेर का **Rajasthan Institute of Correctional Administration and Research** के रूप में क्रमोन्नयन (10 करोड़ रुपये)
10.	उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं में खुला बंदी शिविर (पेट्रोल पम्प)

96. माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ गत सरकार द्वारा मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए बिना समुचित विवेचन एवं प्रावधान के नये जिले स्थापित करने जैसे अतार्किक निर्णय लिये गये, वहीं हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में आमजन के कल्याण के लिए पूरा विश्लेषण कर तथा संसाधनों की व्यवस्था कर ठोस कदम उठाने में विश्वास रखती है। इसी दृष्टि से नवस्थापित 8 जिलों हेतु **समस्त विभागों** के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के साथ ही, आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए **एक हजार करोड़ रुपये** का प्रावधान किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

कार्मिक कल्याण :

97. आमजन को विभिन्न सेवायें व सुविधायें उपलब्ध करवाने में सरकारी कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमारी सरकार कार्मिक कल्याण एवं उनकी भविष्य की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः सजग है। इसी दृष्टि से कार्मिक कल्याण सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान किये जायेंगे। ये प्रावधान हैं–

क्र.सं.	कार्मिक कल्याण सम्बन्धी बिन्दु
1.	आगामी वर्ष में ऐसे कार्मिक, जिन्होंने अभी तक पदोन्नति हेतु एक बार भी अनुभव व सेवा अवधि में छूट का लाभ नहीं लिया हो, उन्हें 2 वर्ष की छूट दिये जाने की घोषणा करती हूँ। उक्त छूट का लाभ Contractual Hiring to Civil Posts Rules के अन्तर्गत नियोजित कार्मिकों को भी दिया जाना प्रस्तावित है।
2.	मंत्रालयिक कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता एवं प्रबोधकों आदि केडरों का पुनर्गठन कर, उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।
3.	समस्त मानदेय कर्मियों यथा–मिनी आंगनबाड़ी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ–बाड़ी कार्यकर्ता, Mid-Day Meal Cook cum Helper, लांगरी, Homeguards, REXCO एवं शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं इत्यादि के मानदेय में आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, इनकी सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त Gratuity का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है।
4.	अंशकालिक कार्मिक जैसे ग्राम प्रतिहारी, कुक आदि एवं एजेन्सी के माध्यम से नियोजित संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। इसके साथ ही, प्रदेश में NFSA राशन वितरण का कार्य संभाल रहे Dealers के कमीशन में भी 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
5.	Placement Agencies के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किये जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।
6.	सहकारी बैंक के अधिकारी/कर्मचारियों को समर्पित अवकाश एवं सेवानिवृत्ति पर अनुपयोगी उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान के रूप में लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।
7.	सरकारी कर्मचारियों को एक अप्रेल, 2024 से बढ़ी हुई Gratuity का लाभ देय है। अब यह लाभ केन्द्र सरकार के अनुरूप एक जनवरी, 2024 से दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ।
8.	न्यायिक सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को भी राज्य सरकार के अन्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के अनुरूप 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ।